कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011)

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30.05.2015

क्रमांक/ 91 /स्थापना–सेवा/2015 निम्नलिखित स्टेनो टायपिस्ट को समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों पर तत्काल प्रभाव से **स्वयं के व्यय** पर स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर–4 में अंकित कार्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

स.क्र.	स्टेनो टायपिस्ट का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री अग्रज तिवारी	जिला पंजीयक कार्यालय छतरपुर	जिला पंजीयक कार्यालय टीकमगढ़
2	श्री राजनारायण पाल	जिला पंजीयक कार्यालय टीकमगढ़	जिला पंजीयक कार्यालय छतरपुर
3	श्री राहुल मण्डलोई	जिला पंजीयक कार्यालय नीमच	जिला पंजीयक कार्यालय धार

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

2. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाती है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

3. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाईन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा । स्थानांतरित कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा,

निरंतर....2

परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवक यदि अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवधि स्वेच्छिक अनुपस्थिति मानकर "डाइज नॉन" मानी जाएगी । इसके अलावा उसके विरूद्ध शासन के आदेशों का पालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठां0 क्र0 280/स्थापना–सेवा/2015 भोपाल, दिनांक 30.05.2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ
3. संभागायुक्त, ..., मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. जिलाध्यक्ष, छतरपुर/टीकमगढ़/नीमच/धार की ओर सूचनार्थ।
5. परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन इंदौर/ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, धार/टीकमगढ़/नीमच/छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । स्थानांतरित कर्मचारी को एक सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
7. स्थापना सामान्य शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित श्री .... मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश